

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 657] No. 657] नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 8, 2019 ⁄माघ 19, 1940

NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 8, 2019/MAGHA 19, 1940

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 फरवरी, 2019

का.आ. 775(अ).—केन्द्रीय सरकार, औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 (1940 का 23) की धारा 3 के खण्ड (ख) के उप-खंड (iv) के अनुसरण में, औषधि तकनीकी सलाहकार बोर्ड से परामर्श करने के पश्चात् 1 अप्रैल, 2020 से औषधि के रूप में मनुष्यों में उपयोग के लिए निम्नलिखित यक्तियों को विनिर्दिष्ट करती है, अर्थात् :—

- (i) सभी प्रत्यारोपण चिकित्सा उपस्कर;
- (ii) सीटी स्कैन उपस्कर;
- (iii) एमआरआई उपस्कर;
- (iv) डिफिब्रिलेटर्स;
- (v) डायलिसिस मशीन;
- (vi) पीईटी उपस्कर;
- (vii) एक्स-रे मशीन; और
- (viii) अस्थि मज्जा सेल विभाजक ।

[फा. सं. एक्स. 11014/12/2018-डीआर]

डॉ. मनदीप के. भण्डारी, संयुक्त सचिव

915 GI/2019 (1)

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Department of Health and Family Welfare)

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th February, 2019

S.O. 775(E).—In pursuance of sub-clause (iv) of clause (b) of section 3 of the Drugs and Cosmetics Act, 1940 (23 of 1940), the Central Government, after consultation with the Drugs Technical Advisory Board, hereby specifies the following devices intended for use in human beings as drugs with effect from the 1st day of April, 2020, namely:—

- (i) All implantable medical devices;
- (ii) CT scan Equipment;
- (iii) MRI Equipment;
- (iv) Defibrillators;
- (v) Dialysis Machine;
- (vi) PET Equipment;
- (vii) X-Ray Machine; and
- (viii) Bone marrow cell separator.

[F. No. X. 11014/12/2018-DR]

Dr. MANDEEP K. BHANDARI, Jt. Secy.